कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 216/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.06.2026

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई : बिहार व कुशीनगर के दो अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, 20.499 किग्रा गांजा बरामद

अकबेलपुर तिराहे पर घेराबंदी कर पुलिस ने दबोचा तस्करी गिरोह, बरामद गांजे की कीमत लगभग 03 लाख रुपये

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस को मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना जहानागंज पुलिस द्वारा 02 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 20.499 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 03 लाख रुपये है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 07.06.2026 को उपनिरीक्षक लवकुश सोनकर मय पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सुम्भी बाजार में मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि गांजा तस्करी से संबंधित दो व्यक्ति अकबेलपुर से जहानागंज जाने वाले मार्ग पर खड़े हैं तथा कहीं जाने की फिराक में हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा अकबेलपुर तिराहे के पास घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर दोनों संदिग्ध व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा तत्परता एवं हिकमत अमली से पीछा कर पकड़ लिया गया।

पूछताछ में पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम क्रमशः—

1. **ताहिर हुसैन पुत्र नसीम मियां**, निवासी शिकारगंज ढाका, थाना चिरैया, जनपद पूर्वी चंपारण, बिहार, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. **महताब पुत्र नईम अंसारी**, निवासी ग्राम जंगल लुहटहा, थाना बिसुनपुरा, जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, उम्र करीब 23 वर्ष।

बताया। तलाशी के दौरान दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 05-05 बंडल अवैध गांजा बरामद हुआ। कुल 10 बंडलों का वजन 20.499 किलोग्राम पाया गया। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग ₹3,00,000/- आंकी गई है। अभियुक्तों को उनके अपराध से अवगत कराते हुए दिनांक 07.06.2026 को समय 21:50 बजे पुलिस हिरासत में लेते हुए **मु0अ0सं0- 122/2026**, धारा- **8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।** पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा गांजा तस्करी के संबंध में अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 122/2026, धारा- **8/20 एनडीपीएस एक्ट**, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ताहिर हुसैन पुत्र नसीम मियां निवासी शिकारगंज ढाका, थाना चिरैया, जनपद पूर्वी चंपारण, बिहार।
2. महताब पुत्र नईम अंसारी निवासी ग्राम जंगल लुहटहा, थाना बिसुनपुरा, जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 लवकुश सोनकर
- उ0नि0 अजय निषाद
- का0 अनूप कुमार
- का0 दुर्गादीन सरोज
- रि0का0 अजय पटेल
- रि0का0 उपेन्द्र
- रि0आ0 संजय गुप्ता, **थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।**

प्रेस नोट

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

दिनांक : 07.06.2026

नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, किशोरी सकुशल बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.05.2026 को वादी द्वारा थाना तरवां पर सूचना दी गई कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से बिना बताए कहीं चली गई है। काफी खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0-81/2026 धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

दिनांक 06.06.2026 को उपनिरीक्षक अतुल कुमार मिश्रा मय हमराह पुलिस टीम द्वारा थाना तरवां एवं थाना जहानागंज की सीमा पर मगही नदी के पास स्थित क्षेत्र से नाबालिग किशोरी को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त **तबरेज आलम पुत्र मुमताज**, निवासी- चकशहदरिया, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-81/2026, धारा- 137(2), 87 बीएनएस, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. तबरेज आलम पुत्र मुमताज, निवासी- चकशहदरिया, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 29 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा, थाना तरवां
2. रि0का0 आकाश चौधरी, थाना तरवां
3. रि0म0का0 तृप्ति सिंह, थाना तरवां

प्रेस नोट

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़

दिनांक : 07.06.2026

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की कार्रवाई

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

दिनांक 06.06.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पीएसी मोड़, बलरामपुर के पास घेराबंदी कर दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से एक अदद अवैध कट्टा एवं 02 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दिनांक 06.06.2026 को समय 23:50 बजे नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 287/2026, धारा- 9/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. डब्बु पुत्र स्व. कोधन निवासी आहोपट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष।
2. सौरभ कुमार पुत्र झिनकू राम निवासी आहोपट्टी, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष।

बरामदगी-

- 01 अदद अवैध तमंचा
- 02 अदद जिंदा कारतूस

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 287/2026, धारा- 9/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 मिथिलेश कुमार प्रजापति
- उ0नि0 उदय शंकर तिवारी
- उ0नि0 विधनेश वर्मा
- का0 सुमित कुमार निषाद
- रि0का0 अमित कुमार
- रि0का0 जय शंकर
- रि0का0 जितेन्द्र कुमार यादव
- रि0का0 सचिन कुमार *,थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़*

प्रेस नोट

थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

दिनांक : 07.06.2026

मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने तथा जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को महराजगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.05.2026 को थाना महराजगंज पर प्राप्त तहरीर में आरोप लगाया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा वादी पक्ष के साथ गाली-गलौज करते हुए लोहे की रॉड, लाठी-डंडा एवं ईंट से हमला किया गया, जिससे कई व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई। घटना के दौरान आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्राप्त तहरीर एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0-101/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग बनाम 1.लालू निषाद *S/O* राजेन्द्र निषाद 2. प्रवेश निषाद *S/O* रुदल निषाद 3. राजू निषाद *S/O* समशेर निषाद 4. बीरबल निषाद *S/O* जवाहिर निषाद 5. महातम निषाद *S/O* महेन्द्र निषाद निवासीगण उसुरकुढवा थाना महराजगंज जनपद आजगमढ़ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 07.06.2026 को उ0नि0 राहुल कुमार मय मुखबिर की सूचना प्राप्त मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **शिवदास उर्फ लालू निषाद पुत्र राजेन्द्र प्रसाद**, निवासी ग्राम उसुरकुढ़वा, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष को भैरोदासपुर तिराहे के पास से समय करीब 08:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शिवदास उर्फ लालू निषाद पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम उसुरकुढ़वा, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-101/2026, धारा- 109(1), 115(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राहुल कुमार
2. का0 अखिलेश सिंह
3. का0 सत्येन्द्र प्रजापति,*थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़*

प्रेस नोट

थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

दिनांक : 07.06.2026

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 24 घंटे के भीतर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.06.2026 को थाना मुबारकपुर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0-216/2026 धारा 137(3), 87 बीएनएस के तहत अभियोग बनाम **सुनील पुत्र स्व. राजेन्द्र**, निवासी कटरा बलुआ, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 07.06.2026 को उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र वर्मा मय हमराह पुलिस बल क्षेत्र में भ्रमणशील एवं वांछित अभियुक्त की तलाश में मौजूद थे। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमे से संबंधित अभियुक्त रोडवेज बस अड्डा मुबारकपुर के पास मौजूद है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर अभियुक्त **सुनील पुत्र स्व. राजेन्द्र**, निवासी कटरा बलुआ, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष को समय करीब 11:20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सुनील पुत्र स्व. राजेन्द्र, निवासी कटरा बलुआ, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-216/2026 धारा 137(3), 87 बीएनएस, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 धर्मेन्द्र वर्मा
- का0 विनय यादव
- महिला का0 रागिनी सिंह ,*थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़*

थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

दिनांक : 07.06.2026

बस चालक के स्टाफ से रंगदारी मांगकर रुपये छीनने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट की रकम बरामद

मेहनाजपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 'गुंडा टैक्स' वसूलने वाले आरोपियों को 48 घंटे के भीतर भेजा सलाखों के पीछे

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेहनाजपुर पुलिस को लूट एवं रंगदारी से संबंधित प्रकरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में छीनी गई रकम में से ₹500/- बरामद किए गए हैं।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.06.2026 को वाराणसी से आजमगढ़ आ रही एक निजी बस को मेहनाजपुर बाजार स्थित शराब की दुकान के पास रोककर कुछ व्यक्तियों द्वारा बस के स्टाफ से जबरन रुपये की मांग की गई। विरोध करने पर आरोपियों द्वारा कथित रूप से असलहा दिखाकर भय पैदा किया गया तथा जबरदस्ती रुपये छीन लिये गये। साथ ही भविष्य में क्षेत्र में वाहन संचालन करने पर प्रतिदिन रुपये देने की धमकी भी दी गई। प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं जांच के आधार पर थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0-53/2026 धारा 308(5)/309(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 07.06.2026 को थानाध्यक्ष मेंहनाजपुर के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुकदमे से संबंधित दोनों वांछित अभियुक्तों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। प्रथम अभियुक्त **बेचू सिंह** को ग्राम जियापुर स्थित पानी टंकी के सामने एक बंद होटल के पास से समय करीब 11:54 बजे गिरफ्तार किया गया। वहीं द्वितीय अभियुक्त **संजय सिंह** को औड़िहार रोड स्थित लालमऊ मोड़ के पास से समय करीब 13:10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत दोनों अभियुक्तों को उनके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना से संबंधित ₹500/- की बरामदगी होने पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. **बेचू सिंह पुत्र बीरबल सिंह**, निवासी ग्राम भुजहुआँ, थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर।
2. **संजय सिंह पुत्र स्व. मदन मोहन सिंह**, निवासी ग्राम लालमऊ, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

- ₹500/- नगद

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-53/2026, धारा 308(5)/309(4) बीएनएस,विवेचना के दौरान बढ़ोत्तरी धारा 317(2)/3(5) बीएनएस थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-53/2026 धारा 308(5)/309(4) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2)/3(5) बीएनएस, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अमित कुमार पाल, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ।
2. उ0नि0 दीपक कुमार, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ।
3. उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ।
4. हे0का0 पारसनाथ यादव, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ।
5. रि0का0 पुनीत सिंह, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ।
6. रि0का0 विकास कुमार, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ।
7. म0का0 चन्दा पाल, थाना मेंहनाजपुर, जनपद आजमगढ।
8. रि0म0का0 कामिनी सिंह*, थाना मेहनाजपुर, जनपद आजमगढ़*

प्रेस नोट
थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
दिनांक : 07.06.2026

युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने एवं अवैध धर्म परिवर्तन से संबंधित मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.06.2026 को थाना सरायमीर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर एक युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के संबंध में मु0अ0सं0-146/2026 धारा 87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग बनाम अभियुक्त **ओबैद अहमद पुत्र उजैर अहमद**, निवासी पूरा नूरम, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, बयान एवं अन्य तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 69, 351(3) बीएनएस तथा धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 07.06.2026 को उपनिरीक्षक नीरज गौड़ मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त **ओबैद अहमद पुत्र उजैर अहमद**, निवासी पूरा नूरम, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष को खण्डवारी नहर पुलिया के पास से समय करीब 14:00 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. ओबैद अहमद पुत्र उजैर अहमद, निवासी पूरा नूरम, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-146/2026, धारा 87, 69, 351(3) बीएनएस व धारा 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नीरज गौड़, *थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़*
2. हे0का0 श्याम कुमार गौतम, *थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़*

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
दिनांक : 07.06.2026

साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को दिलाई गई राहत, सरायमीर पुलिस की सक्रिय कार्रवाई से ₹18,022 की धनराशि वापस कराई गई

घटना का विवरण-

दिनांक 06.02.2025 को एक शिकायतकर्ता द्वारा एनसीआरपी (National Cyber Crime Reporting Portal) पर शिकायत दर्ज करायी गई कि टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त एक लिंक के जरिए अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा उनसे ₹29,346 की धनराशि की धोखाधड़ी कर ली गई है।

शिकायत प्राप्त होने पर थाना सरायमीर की साइबर हेल्प डेस्क द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल तकनीकी एवं विधिक कार्रवाई प्रारम्भ की गई। अथक प्रयासों के फलस्वरूप ठगी गई धनराशि में से ₹18,022 को संबंधित बैंक खाते में होल्ड कराया गया।

इसके उपरांत माननीय न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त कर संबंधित बैंक को कोर्ट आदेश प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में होल्ड की गई ₹18,022 की धनराशि सफलतापूर्वक शिकायतकर्ता के खाते में वापस कराई गई।

पीड़ित द्वारा धनराशि वापस प्राप्त होने पर आजमगढ़ पुलिस एवं साइबर हेल्प डेस्क का आभार व्यक्त किया गया।

साइबर हेल्प डेस्क टीम-

1. उ0नि0 नीरज गौड़, थाना सरायमीर
2. का0 सोनू कुमार गुप्ता, थाना सरायमीर
3. का0 इन्द्रजीत यादव, थाना सरायमीर
4. महिला आरक्षी ममता सिंह, थाना सरायमीर

जनहित में अपील-

आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी अनजान लिंक, निवेश योजना, टेलीग्राम/व्हाट्सएप संदेश अथवा ऑनलाइन ऑफर पर बिना सत्यापन विश्वास न करें। साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर **1930** अथवा **www.cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते धनराशि को होल्ड कराकर वापस कराया जा सके।

जनपद आजमगढ़

दिनांक : 07.06.2026

नई किरण परिवार परामर्श केन्द्र की बैठक सम्पन्न, तीन पारिवारिक विवादों में हुआ सफल समझौता

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 07.06.2026 को थाना कोतवाली परिसर स्थित **परिवार परामर्श प्रकोष्ठ (नई किरण)** में साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य पारिवारिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ना तथा न्यायालयों पर अनावश्यक भार को कम करना रहा।

बैठक में कुल **12 पत्रावलियों** में दोनों पक्षों को फोन एवं नोटिस के माध्यम से सूचना देकर मीडिएशन हेतु आमंत्रित किया गया। इनमें से **09 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए**। विस्तृत सुनवाई एवं काउंसलिंग के उपरांत **03 पत्रावलियों में सफल समझौता कराया गया**, जबकि **02 पत्रावलियों में दम्पत्तियों ने पूर्व में हुए समझौते के उपरांत उपस्थित होकर अपने वैवाहिक जीवन के सुचारू रूप से संचालित होने की जानकारी दी।** शेष मामलों में आवश्यक परामर्श एवं सुनवाई के बाद अग्रिम तिथि निर्धारित की गई।

बैठक के दौरान दहेज प्रताड़ना, वैवाहिक विवाद, पारिवारिक असहमति एवं अन्य घरेलू समस्याओं से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की गई। काउंसलरों एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों को धैर्यपूर्वक सुनकर आपसी संवाद एवं समझदारी के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रयास किया गया।

04 पत्रावलियों का निस्तारण अन्य कारणों से किया गया, जबकि शेष मामलों में दोनों पक्षों को अगली तिथि पर उपस्थित होने हेतु नोटिस एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

नई किरण प्रोजेक्ट बिखरे हुए परिवारों को पुनः जोड़ने, पारिवारिक संबंधों में मधुरता स्थापित करने तथा समाज में सकारात्मक वातावरण सृजित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह परियोजना पारिवारिक विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान कर परिवारों में नई आशा एवं विश्वास का संचार कर रही है तथा पारिवारिक न्यायालयों के कार्यभार को कम करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

बैठक में उपस्थित अधिकारी/काउंसलर-

- डॉ. उमेश चन्द्र पाण्डेय (काउंसलर)
- उ0नि0 सत्यनारायण यादव
- उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी
- आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह
- आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता
- महिला आरक्षी नेहा सिंह

सफल समझौते-

कुल सफल समझौते : 03

जनपद आजमगढ़
दिनांक : 07.06.2026

वारंटी गिरफ्तारी अभियान में बड़ी सफलता, थाना जहानागंज पुलिस ने 05 एवं थाना फूलपुर पुलिस ने 04 वारंटी किए गिरफ्तार

दो थानों की संयुक्त कार्रवाई में कुल 09 वारंटियों की गिरफ्तारी, न्यायालय से निर्गत वारंटों की कराई गई प्रभावी तामील

अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी, आजमगढ़ पुलिस का वारंटी गिरफ्तारी अभियान लगातार गतिमान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना जहानागंज एवं थाना फूलपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कुल **09 वारंटियों** को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

थाना जहानागंज पुलिस द्वारा 05 वारंटी गिरफ्तार-

अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह के कुशल निर्देशन, क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक जहानागंज श्री अतुल कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना जहानागंज पुलिस टीम द्वारा विभिन्न मुकदमों में वांछित कुल **05 वारंटियों** को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारंटीगण—

1. राधिका यादव पत्नी कमलेश यादव निवासी कुसरना, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
2. वीरेन्द्र पुत्र शिवचन निवासी पारूपुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
3. दिवाकर पुत्र टिल्टू निवासी गोधौरा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
4. रामसमुझ पुत्र जयश्री निवासी पटहुआ, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।
5. रामश्री पुत्र बुद्धू निवासी पटहुआ, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

सभी वारंटियों को न्यायालय द्वारा निर्गत वारंटों के अनुपालन में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

थाना फूलपुर पुलिस द्वारा 04 वारंटी गिरफ्तार-

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक फूलपुर के नेतृत्व में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा वारंटी गिरफ्तारी अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए **04 वारंटियों** को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 07.06.2026 को उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय पुलिस टीम द्वारा ग्राम उदपुर में दबिश देकर न्यायालय से निर्गत गैर-जमानती वारंटों की तामील करते हुए चारों वारंटियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया।

गिरफ्तार वारंटी—

1. बेलाल पुत्र अब्दुल कलाम निवासी उदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
2. सलेहा पुत्री अब्दुल कलाम निवासी उदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मुशर्रत पत्नी अब्दुल कलाम निवासी उदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
4. अरसलान पुत्र अब्दुल कलाम निवासी उदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा वारंटियों एवं वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध विशेष अभियान निरंतर जारी है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा न्यायालय से निर्गत आदेशों के अनुपालन हेतु प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।